न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 87/05 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. सूरजभान पुत्र फूसाराम जाति अहीर (फौत)

1/1. कैलाश चन्द दत्तक पुत्र सूरजभान जाति अहीर

2. सावंतराम पुत्र फूसाराम जाति अहीर

3. रामजीलाल पुत्र फूसाराम जाति अहीर

4. बनवारीलाल पुत्र फूसाराम जाति अहीर (फौत)

4/1. भूपसिंह पुत्र बनवारीलाल जाति अहीर

4/2. किशनलाल पुत्र बनवारीलाल जाति अहीर

4/3. रेवती पुत्री बनवारीलाल जाति अहीर

4/4. मुकेश पुत्री बनवारीलाल जाति अहीर

4/5. उर्मिला पुत्री बनवारीलाल जाति अहीर

5. कासीराम पुत्र हेमराज जाति अहीर (फौत)

5/1. सुरेश पुत्री कासीराम जाति अहीर

5/2. बिमला पुत्री कासीराम जाति अहीर

6. रामनाथ पुत्र हेमराज जाति अहीर

7. भागीरथ पुत्र हेमराज जाति अहीर

8. हरिकिशन पुत्र हेमराज जाति अहीर (फौत)

8/1. राकेश पुत्र हरिकिशन जाति अहीर

8/2. बाला पुत्री हरिकिशन जाति अहीर

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

8/3. सुरेश पुत्री हरिकिशन जाति अहीर

8/4. बबली पुत्री हरिकिशन जाति अहीर

निवासीयान ग्राम खोहरी तहसील बहरोड जिला अलवर

:---- वादीगण अपीलांटस

बनाम

01 फूलचन्द पुत्र श्योलाल जाति अहीर निवासी ग्राम मावडी तह0 बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:--- प्रतिवादी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर, बहरोड दिनांक 16.4.2005

---

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांटस :- श्री दाताराम यादव

2. वकील रेस्पो0 :- श्री कैलाश कुमार यादव

निर्णय दिनांक 27/8/19

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर, बहरोड द्वारा राजस्व वाद संख्या 485/2001 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.4.2005 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादीगण का वाद बाबत इस्तकरारहक खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने तहत न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर साबिक 178 रकबा 18 बिस्वा, 293 मिन रकबा 15 बिस्वा, 293 मिन व 313 रकबा 15 बिस्वा हाल नम्बर 240, 398, 399, 424 वाके ग्राम मावडी तहसील बहरोड विवादित है । इसके खातेदार मातादीन थे, जो कि वादीगण के मामा थे । वे लाऔलाद फौत हो चुके हैं । उनके बाद हम आराजी पर काबिज हो गये । वे वादीगण के पास ही रहते थे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी अलवर

Scanned by CamScanner

वादीगण ही उनकी सेवा करते थे । कानूनन उनकी विरासत हमारे नाम दर्ज होनी चाहिये थी । उन्होंने रेस्पो0 के नाम कभी भी कोई वसीयत नहीं की थी । परन्तु मुद्दायला ने फर्जी व्यक्ति खडा करके वसीयत अपने नाम करवाकर सिविल न्यायालय से उसे घोषित करवा लिया और आराजी अपने नाम करा ली । उस सिविल वाद में वादीगण को किसी भी हैसियत से पक्षकार नहीं बनाया गया । गलत इन्द्राज की आड में प्रतिवादी आराजी को खुर्दबुर्द करने पर उतारू है । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा उक्त वाद पत्र खारिज किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि तहत न्यायालय में हमने गवाहान साक्ष्य उपस्थित कराये थे, परन्तु पीठासीन अधिकारी के ना होने के कारण उनकी गवाही नहीं हो सकी । इसके बाद हमने तहत न्यायालय में निवेदन किया कि गवाहान के बयान लिये जावे, परन्तु तहत न्यायालय ने प्रार्थना अस्वीकार कर दी । तहत न्यायालय द्वारा ऐसे दस्तावेजात को अपने निर्णय व डिक्री के लिये आधार बनाया है, जो बेवास्ता व्यक्ति के मध्य चले व निर्णित हुये हैं । तहत न्यायालय का यह विवेचन कतई गलत है कि सिविल न्यायालय के निर्णय की हमको अपील करनी चाहिये थी । हमको किसी भी हैसियत से सिविल न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया तो हम अपील कैसे करते । सिविल न्यायालय में फर्जी व्यक्ति खडा किया गया था । इतना ही नहीं, फर्जी व्यक्ति को खडा करके प्रतिवादी ने अपने नाम वसीयत करा ली । हम वादीगण अपीलांटस के मामा मातादीन की आराजी की बाबत एक वाद माननीय न्यायालय उपखंड अधिकारी, बहरोड के यहां फूलचन्द बनाम मक्खन नाम से चला, जो निर्णय दिनांक 6.12.1991 को खारिज कर दिया गया । श्रीमान सम्भागीय आयुक्त महोदय ने उपखंड अधिकारी बहरोड के निर्णय दिनांक 6.12.1991 को यह कहते हुये खारिज कर दिया कि दीवानी न्यायालय में लम्बित वाद में निर्णय के अनुसार इन्तकाल कार्यवाही होगी । इसकी अपील के निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल ने सम्भागीय आयुक्त के निर्णय को सही ठहराया । इस प्रकार फूलचन्द व मक्खन ने साजिशी तौर पर मातादीन की वसीयत बाबत

भू-प्रबन्ध
राजस्व अपील अधिकारी अलवर

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांक 1.9.1991 को प्राप्त कर लिया । उस दीवानी वाद मे हमको पक्षकार भी नहीं बनाया गया । इन सब तथ्यों पर विद्वान तहत न्यायालय ने कतई गौर नहीं किया और गलत तौर पर हमारा वाद खारिज कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि विवादित आराजी की बाबत मातादीन की वसीयत हमारे पक्ष में है । इस वसीयत को दीवानी न्यायालय ने हमारे पक्ष में घोषित किया है । विवादित आराजी से अपीलांट का कोई लेना देना नहीं है । वसीयत के आधार पर ही आराजी हमारे नाम आई है । अगर इनको वसीयत से कोई ऐतराज था तो इनको दीवानी न्यायालय के निर्णय की आगे अपील करनी चाहिये थी । तहत न्यायालय ने सम्पूर्ण विवेचना करते हुये अपना विधिसम्मत निर्णय पारित किया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । प्रस्तुत प्रकरण मूल रूप से मातादीन की वसीयत को लेकर है, जिसके सम्बन्ध में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि मातादीन उनका मामा था, जो लाऔलाद फौत हुआ है, प्रतिवादी रेस्पो0 ने फर्जी वसीयत करवाकर आराजी अपने नाम करा ली । इसके विपरीत रेस्पो0 का कथन है कि वसीयत विधिसम्मत निष्पादित हुई है । इन तर्कों के सम्बन्ध में हमने तहत पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया । नामान्तकरण संख्या 2 दिनांक 5.2.88 द्वारा मातादीन की आराजी रेस्पो0 प्रतिवादी फूलचन्द के नाम अन्तरित हुई है । माननीय न्यायालय सिविल जज (क0 ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,बहरोड के निर्णय दिनांक 1.9.97 बउनवान फूलचन्द बनाम मक्खनलाल में वसीयत पर पूर्ण रूप से विवेचना करते हुये फूलचन्द के पक्ष में निर्णय देते हुये आदेश दिया गया था कि वसीयत दिनांक 15.12.87 अवैध है और वादी के अधिकारों पर प्रभावहीन है और प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित सम्पत्ति के वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा व रूकावट नहीं करें । इस प्रकार सिद्ध है कि मक्खनलाल के पक्ष में जो वसीयत दिनांक 15.12.87 निष्पादित हुई थी, उसे सिविल

भू-प्रबन्ध
राजस्व अ

Scanned by CamScanner

न्यायालय ने अवैध करार दे दिया था । रेस्पो0 फूलचन्द के पक्ष में जो वसीयत हुई थी, वह दिनांक 26.11.87 की है । माननीय सिविल न्यायालय में दो वसीयतों एक वसीयत दिनांक 15.12.87 मक्खनलाल की तथा दूसरी वसीयत दिनांक 26.11.87 की बाबत वाद चला था, जिसके निर्णय में माननीय सिविल न्यायालय ने मक्खनलाल की वसीयत को अवैध तथा फूलचन्द की वसीयत को वैध करार दिया है । माननीय राजस्व मण्डल एवं सम्भागीय आयुक्त ने अपने निर्णयों को माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर ही अवलम्बित किया है ।

6 उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन की रोशनी में यह सिद्ध होता है कि मातादीन की सम्पत्ति के सम्बन्ध में दो वसीयत निष्पादित हुई थी – एक वसीयत मक्खनलाल के पक्ष में, दूसरी फूलचन्द के पक्ष में । माननीय सिविल न्यायालय ने मक्खनलाल की वसीयत को अवैध तथा फूलचन्द की वसीयत को वैध करार दिया है । माननीय सम्भागीय आयुक्त और माननीय राजस्व मण्डल ने भी सिविल न्यायालय के निर्णय के आधार पर ही अपने निर्णय पारित किये हैं । ऐसी स्थिति में जबकि माननीय सिविल न्यायालय द्वारा फूलचन्द की वसीयत को वैध करार दिया है और उस वसीयत के आधार पर मातादीन की सम्पत्ति रेस्पो0 फूलचन्द के नाम अन्तरित हुई है तो फिर इस न्यायालय द्वारा तहत न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करने की गुजांइश नहीं रह जाती है । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

7 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाकर तहत न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.4.2005 यथावत रखे जाते हैं ।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

---

अपील संख्या :– 87/05 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. सूरजभान पुत्र फूसाराम जाति अहीर (फौत)

1/1. कैलाश चन्द दत्तक पुत्र सूरजभान जाति अहीर

2. सावंतराम पुत्र फूसाराम जाति अहीर

3. रामजीलाल पुत्र फूसाराम जाति अहीर

4. बनवारीलाल पुत्र फूसाराम जाति अहीर (फौत)

4/1. भूपसिंह पुत्र बनवारीलाल जाति अहीर

4/2. किशनलाल पुत्र बनवारीलाल जाति अहीर

4/3. रेवती पुत्री बनवारीलाल जाति अहीर

4/4. मुकेश पुत्री बनवारीलाल जाति अहीर

4/5. उर्मिला पुत्री बनवारीलाल जाति अहीर

5. कासीराम पुत्र हेमराज जाति अहीर (फौत)

5/1. सुरेश पुत्री कासीराम जाति अहीर

5/2. बिमला पुत्री कासीराम जाति अहीर

6. रामनाथ पुत्र हेमराज जाति अहीर

7. भागीरथ पुत्र हेमराज जाति अहीर

8. हरिकिशन पुत्र हेमराज जाति अहीर

8/1. राकेश पुत्र हरिकिशन जाति अहीर

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

सरवक मिसल

| मिसल संख्या | अन्तर्गत धारा | रजू दिनांक |
|---|---|---|
| 7/05 | | 5-5-05 |

OLD

8/2. बाला पुत्री हरिकिशन जाति अहीर

8/3. सुरेश पुत्री हरिकिशन जाति अहीर

8/4. बबली पुत्री हरिकिशन जाति अहीर

निवासीयान ग्राम खोहरी तहसील बहरोड जिला अलवर

:---- वादीगण अपीलांटस

बनाम

01 फूलचन्द पुत्र श्योलाल जाति अहीर निवासी ग्राम मावडी तह0 बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:--- प्रतिवादी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर, बहरोड दिनांक 16.4.2005

--------------------------------

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांटस :- श्री दाताराम यादव

2. वकील रेस्पो0 :- श्री कैलाश कुमार यादव

पर्चा डिक्री दिनांक 27/8/19

------ --------------

अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाकर तहत न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.4.2005 यथावत रखे जाते हैं ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner